आई०टी०सेल
upload
[illegible]

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या NHM/BHDS/258/2024 पी०पी०एम०– 145 - पटना, दिनांक – 28/10/ ,2024

**शुद्धि–पत्र**

कृषि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– NHM/BHDS/258/2024–पी.पी.एम.–113 दिनांक 30.08.2024 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम मद से आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद कुफरी चिप्सोना–1 का क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु कुल 143.61039 लाख (एक करोड़ तैंतालीस लाख एकसठ हजार उनचालीस) रूपये मात्र की लागत पर योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका–12 में निहित आदेश के आलोक में कंडिका–06 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :–

| पूर्व में अंकित आदेश | संशोधित आदेश |
|---|---|
| आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद कुफरी चिप्सोना की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर 30 क्विंटल है। अनुमानित बीज मूल्य 4,000.00 रूपये प्रति क्विंटल/वास्तविक बीज मूल्य दोनों में से जो कम होगा, पर कृषकों को बीज उपलब्ध कराई जायेगी। प्रति हेक्टेयर अनुमानित इकाई लागत बीज मूल्य सहित 1,25,150.00 रूपये मात्र पर 75 प्रतिशत यानि 93,863.00 रूपये मात्र प्रति हेक्टेयर की दर से अनुसूची–2 के अनुसार सहायतानुदान दो किस्तों में 75:25 के अनुपात में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में 70,397.00 रूपये बीज एवं उपादान क्रय के लिए तथा द्वितीय किस्त के रूप में 23,466.00 रूपये प्रति हेक्टेयर आलू रोपाई उपरांत स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् दी जायेगी।<br>रबी मौसम में आलू की खेती माह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवम्बर के द्वितीय सप्ताह तक सफलतापूर्वक किया जाता है। रबी मौसम में आलू के कुफरी चिप्सोना–1 प्रभेद के क्षेत्र विस्तार हेतु **आधार/प्रमाणित** बीज किसानों को संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। **आधार/प्रमाणित** बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। | आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद कुफरी चिप्सोना की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर 30 क्विंटल है। अनुमानित बीज मूल्य 4,000.00 रूपये प्रति क्विंटल/वास्तविक बीज मूल्य दोनों में से जो कम होगा, पर कृषकों को बीज उपलब्ध कराई जायेगी। प्रति हेक्टेयर अनुमानित इकाई लागत बीज मूल्य सहित 1,25,150.00 रूपये मात्र पर 75 प्रतिशत यानि 93,863.00 रूपये मात्र प्रति हेक्टेयर की दर से अनुसूची–2 के अनुसार सहायतानुदान दो किस्तों में 75:25 के अनुपात में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में 70,397.00 रूपये बीज एवं उपादान क्रय के लिए तथा द्वितीय किस्त के रूप में 23,466.00 रूपये प्रति हेक्टेयर आलू रोपाई उपरांत स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् दी जायेगी।<br>रबी मौसम में आलू की खेती माह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवम्बर के द्वितीय सप्ताह तक सफलतापूर्वक किया जाता है। रबी मौसम में आलू के कुफरी चिप्सोना–1 प्रभेद के क्षेत्र विस्तार हेतु **सत्यापित** बीज किसानों को संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विश्वसनीय स्त्रोत से प्राप्त गुणवत्तायुक्त सत्यापित बीज की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। |

3. उक्त स्वीकृत्यादेश संख्या– NHM/BHDS/258/2024–पी.पी.एम.–113 दिनांक 30.08.2024 एवं इससे संबंधित निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश में वर्णित आधार/प्रमाणित बीज के स्थान पर सत्यापित बीज को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं शेष कंडिकाएँ एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

4. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार)
संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/258/2024 पी०पी०एम०– 145– पटना, दिनांक – 28/10/24 ,2024

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/258/2024 पी०पी०एम०– 145– पटना, दिनांक – 28/10/ ,2024

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/258/2024 पी०पी०एम०– 145– पटना, दिनांक – 28/10/ ,2024

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/258/2024 पी०पी०एम०– 145– पटना, दिनांक – 28/10/ ,2024

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/258/2024 पी०पी०एम०– 145– पटना, दिनांक – 28/10/ ,2024

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग/मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक शष्य (योजना), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)/सभी उप निदेशक उद्यान/सभी सहायक निदेशक उद्यान/सभी सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एंव कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी कोषागार पदाधिकरी/सभी संबंधित पदाधिकारियों को ईमेल से भेजने हेतु अनुलग्नक के साथ प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।